

राजस्थान सरकार  
**कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)**

(वन विभाग परिसर, प्रताप राकिल, चित्तौड़गढ़-312001(Ph&Fax :01472-294001;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)  
पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2022-23/ 7729 दिनांक : 14.11.2022

निमित्त,

अधिशायी अभियंता,  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड,  
चित्तौड़गढ़

**विषय :-** Diversion of 3.8122 ha. (DCF Chittorgarh 1.5092 ha. and DCF MNP Kota 2.303Ha.)  
offorest in favour of Executive Engineer, Public Health and Engineering Department  
Chittorgarh for construction of Bhaisoadgarh Borav Water Supply Project for providing  
safe and potable drinking water to the 38 village and 27 other Dhanies of  
Bhaisrodgarh Panchayat Samiti District Chittorgarh, Rajasthan.  
(FP/RJ/WATER/17698/2016)

**प्रसंग :-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय  
कार्यालय, जयपुर "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर का पत्रांक  
8 बी/राज./08/28/2018/एफसी. दिनांक 22.12.2021 एवं प्रधान मुख्य  
वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर एफ. 14(Water/ PHED)2018/एफसीए  
/प्रमुवसं/1114 दिनांक 28.3.2022 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक  
2524-30 दिनांक 21.4.2022 के क्रम में।

**संदर्भ :-** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 14  
(Water/PHED)2018/एफसीए/प्रमुवसं/3072-73 दिनांक 9.9.2022 के क्रम  
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर  
का पत्रांक 8 बी/राज./08/28/2018/एफसी. दिनांक 22.12.2021 द्वारा 3.8122 हैक्टर वन  
भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 129 वृक्षों व 520 पोलस (कुल 649) के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति  
पत्र में वर्णित शर्तों के अधिन जारी की गई है। इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी

Acct/AE(G.K.)  
P.I. demand budget  
and ensure to pay.  
NB  
15/11/2022

किए गए मांग पत्र में आंशिक संशोधन किया जाने से मांग पत्र पुनः निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 एवं 19 के शर्तों की अनुपालना के संबंध में वचनबद्धता इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या 2 अनुसार 3.8122 हैक्टेयर वन भूमि का अनारक्षण किया गया जिसके बदले निम्नानुसार गैर वन भूमि विभाग को उपलब्ध करवाई गई है :-

क्र. सं.	जिला	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	संबंधित वन मण्डल का नाम
1	चित्तौड़गढ़	गोपालपुरा	33, 34	2.30	उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव, कोटा
2	चित्तौड़गढ़	कोलपुरा	102	1.5122	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
		योग		3.8122	

उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में 1.5122 हैक्टेयर भूमि हेतु CA Demand निम्नानुसार है :-

F. Entire Amount for CA Demand as :-

1. CA NFL (1.5122 Ha. In Kolpura at Range Borav)

Total CA Demanded

= Rs. 15,22,100/-

= Rs. 15,22,100/-

शर्त संख्या 6 की पालना में NPV राशि इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार की भूमि हेतु मांग राशि निम्नानुसार है :-

G. NPV Amount (@ 6,26,000/- per Ha. for 1.5122 Ha.)

Total Amount to be deposited in CAMPA fund .

= Rs. 9,46,637/-

= Rs. 24,68,737/-

→ अतः राशि रु. चौबीस लाख अड़सठ हजार सात सौ सैतीस मात्र कैम्पा फंड में शर्त संख्या 23 के अनुसार e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करा कर अवगत कराए।

शर्त संख्या 11 एवं 15 की अनुपालना में क्रमशः इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले 115 पेड़ की कटाई हेतु 1,00,000/- रु. एवं डिमार्केशन हेतु 50 पिल्लर हेतु 2350/- रु. प्रति पिल्लर से 1,17,500/- कुल 2,17,500/- रु. का डी.डी. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ के नाम का बनाया जाकर प्रस्तुत करें।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.1.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 7.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने एवं वांछित राशि जमा कराए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रकरण में अग्रिम कारवाई की जाएगी साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य वन भूमि में नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2022-23/ 77 30-35

दिनांक : 14/11/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, मुकुन्दरा नेशनल पार्क, कोटा।
5. सहायक वन संरक्षक, रावतभाटा।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बोराव

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक,  
चित्तौड़गढ़

# कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

रावतभाटा रोड, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सामने, कोटा (राज0) पिन-324010

Phone No. 0744-2470723

E-mail :- [dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ (2)तक-II / FCA / मु.रा.उ. / 2022-23 / 10697

दिनांक: 12/9/22

निमित्त :-

अधिषाशी अभियंता  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड, चित्तौडगढ़

विशय :- Diversion of 3.8122 ha. (DCF Chittorgarh 1.5092 ha. and DCF MNP Kota 2.303 ha.) of forest in avour of Executive Engineer, Public Health and Engineering Department Chittorgarh for construction of Bhaisrodgarh Borav Water Supply Project for providing safe and potable drinking water to the 38 villages and 27 other Dhanies of Bhaisrodgarh Panchyat Samiti District Chittorgarh, Rajasthan. (Proposal No. FP/ RJ/ WATER/ 17698/ 2016)

प्रसंग :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक पत्र संख्या-8/राज/08बी/28/2018/एफ.सी. दिनांक 22.12.2021 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्रांक 1114 दिनांक 28.03.2022, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख का पत्रांक 3072-73 दिनांक 09.09.2022 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अरण्य भवन झालाना डुंगरी संस्थानिक क्षेत्र जयपुर के पत्रांक पत्र संख्या-8बी/राज/08/28/2018/एफ.सी. दिनांक 22.12.2021 द्वारा 3.8122 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 129 वृक्षों व 520 पोल्स के पातन की सैन्धातिक स्वीकृति पत्र में वर्णित भार्ता के अधीन जारी की गई है। उपरोक्तानुसार भार्ता की अनुपालना के संदर्भ में वचनबद्धता इस कार्यालय को प्रस्तुत करे। भार्ता संख्या 2 के अनुसार 3.8122 है0 वन भूमि के अनारक्षण किया गया जिसके बदले निम्नानुसार गैर वन भूमि विभाग को उपलब्ध करवाई गयी है।

क्र. स.	जिला	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (है0 में)	वनमण्डल का नाम
1.	चित्तौडगढ़	गोपालपुरा	33, 34	2.30	उप वन संरक्षक मु.रा.उ. कोटा
2.	चित्तौडगढ़	कोलपुरा	102	1.5122	उप वन संरक्षक चित्तौडगढ़

2.30 हैक्टर वन भूमि के अलावा इस कार्यालय की अभ्यारण्य की सीमा में 7.96208 हैक्टर गैर वन भूमि इस प्रस्ताव में सम्मिलित है जिसकी सीए व एनपीवी डिमाण्ड निम्नानुसार है:-

1.	सीए एनएफएल 2.30 है0	1050000
2.	शर्त संख्या 6 की पालना में एनपीवी राशि इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार की वन भूमि हेतु राशि एनपीवी राशि 626000 रू0 प्रति हैक्टर ( Class III and Open forest, Density is 0.2)	7208390
3.	गैर वन भूमि अभ्यारण्य की सीमा में	4984262.08
योग		13242652.08
कुल कैम्पा फण्ड में जमा होने योग्य राशि		13242652.00

अतः राशि रूपये 13242652/- (एक करोड बत्तीस लाख बियालीस हजार छः सो बावन रूपये मात्र) कैम्पा मद में शर्त संख्या 23 के अनुसार ई-पोर्टल पर जमा करवाकर इस कार्यालय को जमा रसीद की प्रति के साथ रिपोर्ट भिजवावे एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर उनकी प्रति के साथ पालना रिपोर्ट प्रेशित करे। साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृत प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य वन भूमि में नहीं किया जाना सुनिश्चित करे।

(बिजो जॉय)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)  
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा  
दिनांक.

क्रमांक एफ (2)तक-II/FCA/मु.रा.उ./2022-23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेशित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन सुरक्षा) नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा।

(बिजो जॉय)

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)  
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा